4 pages

355

पूर्वोत्तर रेलवे

1/127/2017

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

क्रमांक– 127/2017
सं0 का/131/जीएसटी/2017–18/चार

दिनांक07–07–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–कार्य/आपूर्ति ठेकों के निस्तारण में जीएसटी के सम्बन्ध में।

उपविसमुलेधि/सामान्य,गोरखपुर के पत्र सं0व्यय/विविध/जीएसटी/2017–18/174 दिनांक 06.06.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि संलग्न कर सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

07.07.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

07.07.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

विसमुलेधि
गोरखपुर

दिनांक : 06.06.2017

सं0–व्यय/विविध/जीएसटी/2017–18/174

चिकित्सा निदेशक, ल0ना0मि0 रेलवे चिकित्सालय
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
उपमुई/गो0क्षेत्र
उपमुविई/कालोनी
मंसिदूई/टेली
सचिव/मुयांई
मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी
उपमहाप्रबन्धक/सामान्य
उपमुई/टीएमसी
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय : कार्य/आपूर्ति ठेकों के निस्तारण में जीएसटी के सम्बन्ध में।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं0–2016/एसी–II/1/6 दिनांक 12.05.2017

---X---

दिनांक 01.07.2017 से जीएसटी. लागू होना है। इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड से सूचनायें प्राप्त हो रही है। जीएसटी लागू जोने के क्रम में तत्काल निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैं।

01. सभी ठेकेदारों का जीएसटीएन के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अतः अपने इकाई से सम्बन्धित सभी ठेकेदारों को सूचित कराने की व्यवस्था की जाय कि अविलम्ब वे अपना (अ) प्रदेशवार जीएसटीएन पंजीकरण संख्या (ब) ई–मेल पता (स) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं (द) जिन राज्यों में वे व्यापार करते है, उपलब्ध करायें। इस सम्बन्ध में पंजीकरण सम्बन्धी प्रपत्रों की छायाप्रति भी प्राप्त की जाय।

02. जीएसटीएन के अन्तर्गत पंजीकृत अपनी इकाई से सम्बन्धित ठेकेदारों का मास्टर डाटा तैयार कर लिया जाय।

03. वर्तमान में चल रहे ठेकों में जहाँ आवश्यक जो जीएसटी प्रावधानों के अनुरुप संशोधन की व्यवस्था करा ली जाय।

04. वर्तमान ठेकों में जितने कार्य पूरे हो चुके हैं उनके लिए जहाँ तक सम्भव हो दिनांक 30.06.2017 तक बिल जारी कर दिये जायें क्योंकि दिनांक 01.07.2017 के बाद प्रेषित बिल जीएसटी प्रावधानों के अन्तर्गत होंगे।

05. भविष्य में खुलने वाले निविदाओं के निविदा शर्तों में जीएसटी प्रावधानों को अनिवार्य रुप से शामिल किया जाय।

06. जो निविदायें प्रक्रिया अन्तर्गत हैं उनके निस्तारण में जीएसटी प्रावधानों को शामिल करा लिया जाय।

अनुरोध है कि अपने इकाई में उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ–साथ जीएसटी के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार लेखा विभाग से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी भी नामित करने की व्यवस्था की जाय।

जीएसटी से सम्बन्धित रेलवे बोर्ड के पत्र/दिशा–निर्देश रेलवे बोर्ड के वेबसाईट के अन्तर्गत लेखा निदेशालय (एसी–II) पर उपलब्ध है।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाय।

उपविसमुलेधि/सामान्य

प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष के कृपया सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की अपने विभाग से सम्बन्धित अन्य इकाईयों को भी उपरोक्त से अवगत कराने एवं समुचित कार्यवाही हेतु व्यवस्था की जाय।

उपविसमुलेधि/सामान्य

3
127/2017

विषय :– **जी0एस0टी0 सेल का गठन ।**
संदर्भ :– रेलवे बोर्ड का पत्रांक–2016/एसी–II/1/6 दि012–05–17

संदर्भित पत्र के आलोक में पूर्वोत्तर रेलवे पर निम्न सदस्यों की जी0एस0टी0 सेल गठित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है –

1– अपर महाप्रबन्धक	–	जोनल प्रमुख
2– विसमुलेधि/डब्लूएसटी	–	संयोजक
3– मुख्य इंजीनियर/टीएमसी	–	सदस्य
4– मुख्य इंजीनियर/निर्माण	–	"
5– सी0ई0एस0ई0	–	"
6– सी0एस0ई0	–	"
7– सी0एम0एम0/जी0	–	"
8– सी0डब्लू0ई0	–	"
9– एडिशनल सी0एस0सी0	–	"
10– सी0एच0डी0	–	"
11– सी0सी0एम0/एफ0एम0	–	"
12– सी0पी0आर0ओ0	–	"
13– उपमहाप्रबन्धक/सा0	–	"
✓ 14– उपमुकाधि/राज0	–	"
15– उप मु0संरक्षा अधिकारी/यॉ0	–	"

जी0एस0टी0 सेल का कार्यालय उपविसमुलेधि/यातायात का कार्यालय होगा ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जीएसटी सेल के सुचारू रुप से संचालन हेतु एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है जिसके सदस्यों का विवरण निम्नवत् है –

1– उपविसमुलेधि/यातायात	–	सचिव
2– उपविसमुलेधि/भण्डार एवं कारखाना	–	अतिरिक्त सचिव
3– वसविस/यातायात	–	लेखा सदस्य
4– वसविस/खाता	–	"
5– सविस/आई0सी0	–	"
6– सविस/व्यय	–	"

मण्डलों हेतु – मण्डल रेल प्रबन्धक मण्डल जी0एस0टी0 सेल के मण्डल प्रमुख एवं उनके सभी शाखाधिकारी उसके सदस्य होगें।

विसमुलेधि
दिनांक 09–06–2017

सं0टीएम/जीएसटी/2017/326

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि0
प्रमुख मुख्य इंजीनियर
वरि0उपमहाप्रबन्धक

जारी.......2

15/6
14.06.17
मुकाधि/प्रशा॰
16/06/17 Dy.CPO(Ctr)
Dy.CPO/Gaz.
Ch.OS/Rulling
22/6
200
10
1.6

२० कार्मिक/... नियमन

5
127/2017

मुख्य संरक्षा अधिकारी
मुख्य यॉंत्रिक इंजीनियर
मुख्य विद्युत इंजीनियर
मुख्य परिचालन प्रबन्धक
मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक
मुख्य सिंगनल एवं दूर संचार इंजीनियर
मुख्य चिकित्सा निदेशक
मुख्य कार्मिक अधिकारी
भंडार नियंत्रक
मुख्य सुरक्षा आयुक्त

प्रतिलिपि -- 1—सचिव/महाप्रबन्धक को महाप्रबन्धक महोदय को सूचनार्थ ।
2— अपर महाप्रबन्धक महोदय को सूचनार्थ ।

विसमुलेधि